



**2016-17**  
के संबंध में  
केन्द्रीय सरकार के व्यय  
के लिए  
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS**  
*for*  
**EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

**RELATING TO**

**2016-17**

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत  
Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115  
के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के  
अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read  
with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the  
Demands has been obtained]

सितम्बर/September, 2020



**प्रस्तावना टिप्पणी**

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2016-17 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

2. 2016-2017 के दौरान 3 अनुदानों और 4 विनियोगों में कुल ₹ 190247,83,76,243 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारणों को इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में दिए गए हैं।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिन्होंने चौथी रिपोर्ट (सत्तहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 2 और 9 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की है।

**INTRODUCTORY NOTES**

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2016-17 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2016-17 occurred in 3 Grants and 4 Appropriations amounting to a total of ₹ 190247,83,76,243.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess expenditure have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraphs 2 and 9 of Part-II of Fourth Report (Seventeenth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.



वर्ष 2016-2017 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण  
Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations  
made by Parliament during 2016-2017

संख्या और अनुदान शीर्षक	No. & Title of Demand		अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/ Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I. राजस्व से पूरा किया गया सिविल मंत्रालयों का व्यय	I. CIVIL MINISTRIES EXPENDITURE MET FROM REVENUE					
13 डाक विभाग	स्वीकृत 13 Department of Posts	Voted	23272,41,00,000	24208,88,75,842	936,47,75,842	1
21 रक्षा पेंशन	स्वीकृत 21 Defence Pensions	Voted	85624,60,00,000	87824,15,77,250	2199,55,77,250	2
21 रक्षा पेंशन जोड़ राजस्व	भारित 21 Defence Pensions	Charged	1,36,00,000	1,64,08,608	28,08,608	2
	भारित		<b>108898,37,00,000</b>	<b>112034,68,61,700</b>	<b>3136,31,61,700</b>	
	स्वीकृत	Voted	136,00,000	164,08,608	28,08,608	
	स्वीकृत	Voted	108897,01,00,000	112033,04,53,092	3136,03,53,092	
पूँजी से पूरा किया गया व्यय	EXPENDITURE MET FROM CAPITAL					
23 पूँजी से पूरा किया गया व्यय	स्वीकृत 23 Capital outlay on Defence Services	Voted	78499,56,62,000	78604,11,32,013	104,54,70,013	3
23 पूँजी से पूरा किया गया व्यय	भारित 23 Capital outlay on Defence Services	Charged	89,58,38,000	131,34,71,564	41,76,33,564	3
33 ऋण के पुनर्भुगतान जोड़ पूँजी	भारित 33 Repayment of Debt	Charged	5491868,78,00,000	5678823,19,93,269	186954,41,93,269	4
	भारित		<b>5570457,93,00,000</b>	<b>5757558,65,96,846</b>	<b>187100,72,96,846</b>	
	स्वीकृत	Voted	5491958,36,38,000	5678954,54,64,833	186996,18,26,833	
	स्वीकृत	Voted	78499,56,62,000	78604,11,32,013	104,54,70,013	
जोड़ सिविल मंत्रालय	TOTAL CIVIL MINISTRIES		<b>5679356,30,00,000</b>	<b>5869593,34,58,546</b>	<b>190237,04,58,546</b>	
	भारित	Charged	5491959,72,38,000	5678956,18,73,441	186996,46,35,441	
	स्वीकृत	Voted	187396,57,62,000	190637,15,85,105	3240,58,23,105	
II. राजस्व से पूरा किया गया रेल मंत्रालय का व्यय	II. MINISTRY OF RAILWAYS EXPENDITURE MET FROM REVENUE					
04 स्थायी पट्टी और कार्य के मरम्मत और रखरखाव	भारित 04 Repairs and maintenance of permanent ways and works	Charged	1,71,61,000	1,79,38,229	7,77,229	5
07 कार्यशील व्यय-संयंत्र और उपकरण के मरम्मत और रखरखाव जोड़ राजस्व	भारित 07 Working Expenses-Repair & Maintenance of Plant & Equipment	Charged	71,45,000	71,97,739	52,739	6
	भारित		<b>2,43,06,000</b>	<b>2,51,35,968</b>	<b>8,29,968</b>	
	भारित	Charged	2,43,06,000	2,51,35,968	8,29,968	
पूँजी से पूरा किया गया व्यय	EXPENDITURE MET FROM CAPITAL					
16 आस्ति-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन-	भारित 16 Assets-Acquisition, construction and Replacement	Charged	257,76,70,000	268,47,57,729	10,70,87,729	7
जोड़ रेल मंत्रालय	TOTAL MINISTRY OF RAILWAYS		<b>260,19,76,000</b>	<b>270,98,93,697</b>	<b>10,79,17,697</b>	
	भारित	Charged	260,19,76,000	270,98,93,697	10,79,17,697	
कुल जोड़	GRAND TOTAL		<b>5679616,49,76,000</b>	<b>5869864,33,52,243</b>	<b>190247,83,76,243</b>	
	भारित	Charged:	5492219,92,14,000	5679227,17,67,138	187007,25,53,138	
	स्वीकृत	Voted:	187396,57,62,000	190637,15,85,105	3240,58,23,105	



## मांग संख्या DEMAND NO. 13

## डाक विभाग

## DEPARTMENT OF POSTS

संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017, को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2017, in respect of the **DEPARTMENT OF POSTS** under **MINISTRY OF COMMUNICATIONS**.

स्वीकृत (राजस्व): नौ सौ छत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख पचहत्तर हजार आठसौ बयालीस रुपये।

Voted (Revenue): Nine hundred thirty-six crore forty-seven lakh seventy-five thousand eight hundred forty-two rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	23272,41,00,000	24208,88,75,842	936,47,75,842

₹23122,00,00,000 के मूल अनुदान में मार्च 2017 में ₹150,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹23272,41,00,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹24208,88,75,842 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹936,47,75,842 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय निम्नलिखित के कारण हुआ:

- वेतन के अंतर्गत व्यय में वृद्धि (7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों में संशोधन)।
- यात्रा व्यय (अधिक निरीक्षण कार्य, निगरानी परियोजना को शुरू करना)।
- कार्यालयी व्यय (अधिक विद्युत प्रभार, एएमसी, दूरभाष प्रभार, ब्रॉडबैंड प्रभार तथा अन्य परिहार्य कार्यालयी व्यय)।
- अन्य व्यय (डीजल, तेल, पेट्रोल की खपत में बढ़ोतरी तथा इन मदों की लागत में वृद्धि, लेखन समग्री प्ररूपों, प्लास्टिक थैलियों, कार्ट्रिज आदि की आपूर्ति)।
- किराया, दर व कर (सरकारी भवनों पर सेवा कर में संशोधन)।

The original grant of ₹23122,00,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹150,41,00,000 obtained in March, 2017. Against the final grant of ₹23272,41,00,000 the actual expenditure was ₹24208,88,75,842 resulting in an excess expenditure of ₹936,47,75,842 which requires regularisation. The excess was incurred due to:

- Increase in expenditure under salaries (revision of pay and allowances consequent upon implementation of 7<sup>th</sup> Pay Commission).
- Travel Expenses (more inspection work, monitoring project roll out).
- Office Expenses (more electrical charges, AMC, telephone charges, broadband charges and other avoidable office expenses).
- Other Charges (increase in consumption of diesel, oil, petrol as well as hike in cost of these items, supply of stationery forms, plastic bags, cartridges etc)
- Rent, Rates and Taxes (Revision of service tax on government building).

## मांग संख्या DEMAND NO. 21

## रक्षा पेंशन

## DEFENCE PENSIONS

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017, in respect of the **DEFENCE PENSIONS** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित (राजस्व): अट्टाईस लाख आठ हजार छः सौ आठ रुपये ।

Charged (Revenue): Twenty-eight lakh eight thousand six hundred eight rupees

स्वीकृत (राजस्व): दो हजार एक सौ निन्यानवे करोड़ पचपन लाख सतहत्तर हजार दो सौ पचास रुपये।

Voted (Revenue): Two thousand one hundred ninety-nine crore fifty-five lakh seventy-seven thousand two hundred fifty rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	1,36,00,000	1,64,08,608	28,08,608 (a)
स्वीकृत Voted	85624,60,00,000	87824,15,77,250	2199,55,77,250 (b)

(क) ₹1,00,00,000 के मूल अनुदान में मार्च 2017 में ₹36,00,000 के अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹1,36,00,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹1,64,08,608 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹28,08,608 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय अधिक अदालती निर्णयों के कार्यान्वयन की वजह से हुआ।

(ख) ₹82331,66,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹3292,94,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। 85624,60,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹87824,15,77,250 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹2199,55,77,250 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय पेंशन के संशोधन के लिए पेंशन में राहत की दर बढ़ने/पेंशन में वृद्धि तथा विभिन्न सरकारी आदेशों/7<sup>वें</sup> केन्द्रीय वेतन आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन और उच्चतम के अंतर्गत राशि का समाशोधन करने के लिए बैंकों से प्राप्त लंबित पेंशन स्कॉल्स के बहीलेखन के कारण हुआ।

(a) The Original Appropriation of ₹1,00,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹36,00,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹1,36,00,000 the actual expenditure was ₹1,64,08,608 resulting in an excess expenditure of ₹28,08,608 which requires regularisation. The excess was incurred due to implementation of more court judgements.

(b) The Original Appropriation of ₹82331,66,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹3292,94,00,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹85624,60,00,000 the actual expenditure was ₹87824,15,77,250 resulting in an excess expenditure of ₹2199,55,77,250 which requires regularisation. The excess was incurred due to increased rate of relief in Pensions/Growth in Pensions and Implementation of various Government Orders/ 7<sup>th</sup> CPC orders for revision of pensions and booking of pending pension scrolls received from banks to clear amount under suspense.



## मांग संख्या DEMAND NO. 23

## रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

## CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017, in respect of the **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित (पूंजी): इकतालीस करोड़ छियत्तर लाख तैंतीस हजार पांच सौ चौंसठ रुपये।

Charged (Capital): Forty-one crore seventy-six lakh thirty-three thousand five hundred sixty-four rupees.

स्वीकृत (पूंजी): एक हजार चार करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार तेरह रुपये।

Voted (Capital): One hundred four crore fifty-four lakh seventy thousand thirteen rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	89,58,38,000	131,34,71,564	41,76,33,564 (a)
स्वीकृत Voted	78499,56,62,000	78604,11,32,013	104,54,70,013 (b)

(क) ₹87,12,38,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹2,46,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹89,58,38,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹131,34,71,564 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹41,76,33,564 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय अनुमान से अधिक अदावतों का निपटान करने की वजह से हुआ।

(ख) ₹78499,56,62,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹1,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹78499,56,62,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹78604,11,32,013 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹104,54,70,013 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का भुगतान करने, रॉकेट फॉर स्मर्च के लिए सचिवों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संबंध में प्रदत्त प्रतिबद्ध देयताओं; आयुध निर्माणों के महानिदेशक द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करने और आकस्मिक अधिप्राप्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान करने; चल स्टॉक के लिए प्रतिबद्ध देयताओं का भुगतान करने; आगे ले जाए गए कार्यों के लिए मांगी गई अतिरिक्त आवश्यकता; चीन अध्ययन समूह (सीएसजी) सड़क; आगे ले जाए गए कार्यों में अवसंरचनात्मक विकास कार्य; पूर्वीक्षेत्र और विवाहित आवास परियोजना में अवसंरचना विकास; डायमंड हार्बर पर पश्चिम बंगाल सरकार से भूमि का अधिग्रहण (मौजा दक्षिणपुर); विशेषीकृत और आम परियोजना वाहनों के संबंध में आवश्यकता में वृद्धि; आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क के भुगतान की वजह से अधिक व्यय; वार्षिक अनुसंधान कार्यजना के अंतर्गत व्यय में काफी बढ़ोतरी; वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान विवाहित आवास परियोजनाएं और अन्य पूंजीगत कार्य; कार्यनीतिक परियोजनाओं को प्रगतिशील बनाने के अतिरिक्त व्यय; 15 भारी हल्के हेलिकॉप्टरों, 51 मिराज एवं अंतरिम अनुसंधान सेवा स्कीमों के संबंध में ऋण-पत्र के माध्यम से जारी बाध्यकारी संविदात्मक अदायगियां; मिग-21 का उन्नयन; रक्षा सामग्रियों पर सेवा शुल्क की शुरुआत; विनिमय दर भिन्नता तथा सेना के संबंध में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एवं हल्के उपयोगी हेलीकॉप्टर पर हथियार प्रणाली संयोजन को अंतिम रूप देने और वायु सेना के संबंध में इंजन संविदा में विलम्ब जिसका पूर्वानुमान बजट अनुमान 2016-17 को अंतिम रूप देते समय नहीं लगाया गया था।

(a) The Original Appropriation of ₹87,12,38,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹2,46,00,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹89,58,38,000 the actual expenditure was ₹131,34,71,564 resulting in an excess expenditure of ₹41,76,33,564 which requires regularisation. The excess was incurred due to settlement of more court cases than anticipated.

(b) The Original Appropriation of ₹78499,56,62,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹1,00,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹78499,56,62,000 the actual expenditure was ₹78604,11,32,013 resulting in an excess expenditure of ₹104,54,70,013 which requires regularisation. The excess was incurred due to payment of Customs and Excise duties; Committed Liabilities paid in respect of Cabinet Committee of Secretaries approved Contracts for Rockets for Smerch; payment of excise duty by Director General of Ordnance Factories as well as advance payment in respect of emergency procurement; committed liabilities payment for rolling stock; additional requirement sought for carry over works; China Study Group (CSG) Road; Infra Development in carry over works; China Study Group (CSF) Roads; Infra Development in Eastern Sector and Married Accommodation Project; Land Acquisition from Government of West Bengal at Diamond Harbor (Mouza Dakshinpur); enhancement of requirement in respect of specialist and general purpose vehicles; higher outgo due to payment of Customs duty on imported equipment; substantial increase in expenditure under Annual Maintenance Work Plan; Married Accommodation Projects and other Capital works during the last quarter of the Financial Year; additional expenditure for progressing strategic Projects; obligatory contractual payments released through letter of credit in respect of 15 Heavy Light Helicopter, 51 Mirage & Interim Maintenance Services schemes; MiG 21 up-gradation; custom duty introduced on Defence Goods; Exchange Rate Variations and delay in finalization of Weapons System Integration on Advance Light Helicopter & Light Utility Helicopter in respect of Army and Engine Contract in respect of Air Force which was not anticipated at the time of finalization of Budget Estimates 2016-17.

## मांग संख्या DEMAND NO. 33

## ऋण का पुनर्भुगतान

## REPAYMENT OF DEBT

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ऋण का पुनर्भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017, in respect of the **REPAYMENT OF DEBT** under **MINISTRY OF FINANCE**.

भारित (पूंजी): एक सौ छियासी हजार नौ सौ चौवन करोड़ इकतालीस लाख तिरानवे हजार दो सौ उनहतर रुपये ।

Charged (Capital): One hundred eighty-six thousand nine hundred fifty-four crore forty-one lakh ninety-three thousand two hundred sixty-nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	5491868,78,00,000	5678823,19,93,269	186954,41,93,269

₹ 4406431,08,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹ 1085437,70,00,000 का अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹ 5491868,78,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹ 5678823,19,93,269 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 186954,41,93,269 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने के कुछ दिन पहले राज्य सरकारों द्वारा अधिक मात्रा में राशि आहरित करने की वजह से हुआ था। इस पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि इस शीर्ष में प्राप्ति/निवेश तथा इसमें से आहरणों/विनिवेश का सीधा असर राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधियों पर पड़ता है जिसके लिए उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे उन निधियों का निवेश आईटीबी में कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर वे, पुनः धूत मार्ग के माध्यम से निधि को आर्हारित करने के लिए मुक्त हैं अर्थात् आईटीबी की निर्धारित अदायगी के पहले।

The Original Appropriation of ₹4406431,08,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹1085437,70,00,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹5491868,78,00,000 the actual expenditure was ₹5678823,19,93,269 resulting in an excess expenditure of ₹186954,41,93,269 which requires regularisation. The excess was incurred due to higher volume of amount withdrawn by the State Governments in the penultimate days of the financial year to meet their financial obligations. There is no control on this count as the receipts/investments and withdrawals/disinvestment of funds in/from this head have a direct bearing on the availability of funds with the State Governments for which they are empowered to park them by investing in ITBs and on need basis they are free to withdraw the funds through rediscounting route i.e. before the schedule repayments of ITBs.

## मांग संख्या DEMAND NO. 4

रेल पथ की मरम्मत और अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य

**REPAIRS AND MAINTENANCE OF PERMANENT WAYS AND WORKS**

रेल मंत्रालय के अधीन रेल पथ की मरम्मत और अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2017, in respect of the **REPAIRS AND MAINTENANCE OF PERMANENT WAYS AND WORKS** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

प्रभारित (राजस्व) : सात लाख सतहत्तर हजार दो सौ उनतीस रुपये

*Charged (Revenue): Seven lakh seventy-seven thousand two hundred twenty nine rupees.*

भाग Section	अन्तिम अनुदान/Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged:	1,71,61,000	1,79,38,229	7,77,229

₹1,50,07,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹21,54,000 का अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹1,71,61,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹1,79,38,229 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,77,229 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय पहले लगाए गए अनुमान की अपेक्षा न्यायिक निर्णय संबंधी अधिक भुगतान किए जाने की वजह से हुआ था।

The Original Appropriation of ₹1,50,07,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹21,54,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹1,71,61,000 the actual expenditure was ₹1,79,38,229 resulting in an excess expenditure of ₹7,77,229 which requires regularisation. The excess was incurred due to more decretal payments than anticipated earlier.

**कार्यशील व्यय - संयंत्र उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण**  
**WORKING EXPENSES - REPAIRS AND MAINTENANCE OF PLANT & EQUIPMENT**

रेल मंत्रालय के अधीन कार्यशील व्यय - संयंत्र उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2017, in respect of the **WORKING EXPENSES - REPAIRS AND MAINTENANCE OF PLANT & EQUIPMENT** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

प्रभारित (राजस्व): बावन हजार सात सौ उनतालीस रुपये।

Charged (Revenue) : Fifty-two thousand seven hundred thirty nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue भारित Charged:	71,45,000	71,97,739	52,739

₹50,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹21,45,000 का अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹71,45,000 के अन्तिम विनियोग की तुलना में ₹71,97,739 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹52,739 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय पहले लगाए गए अनुमान की अपेक्षा न्यायिक निर्णय संबंधी अधिक भुगतान किए जाने की वजह से हुआ था।

The Original Appropriation of ₹50,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹21,45,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹71,45,000 the actual expenditure was ₹71,97,739 resulting in an excess expenditure of ₹52,739 which requires regularisation. The excess was incurred due to more decretal payments than anticipated earlier. more decretal payments than anticipated earlier.

मांग संख्या DEMAND NO. 16  
आस्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन  
**ASSETS-ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT**

रेल मंत्रालय के अधीन आस्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2017, in respect of the **ASSETS-ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

प्रभारित (पूंजी) : दस करोड़ सत्रर लाख सत्तासी हजार सात सौ उन्नतिस रुपये।

Charged (Capital): Ten crore seventy lakh eighty seven thousand seven hundred twenty nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital भारित Charged:	257,76,70,000	268,47,57,729	10,70,87,729

₹62,25,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2017 में ₹195,51,70,000 का अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹257,76,70,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹268,47,57,729 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹10,70,87,729 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय पहले लगाए गए अनुमान की अपेक्षा न्यायिक निर्णय संबंधी अधिक भुगतान किए जाने की वजह से हुआ था।

The Original Appropriation of ₹62,25,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹195,51,70,000 obtained in March, 2017. Against the Final Appropriation of ₹257,76,70,000 the actual expenditure was ₹268,47,57,729 resulting in an excess expenditure of ₹10,70,87,729 which requires regularisation. The excess was incurred due to more decretal payments than anticipated earlier.